

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता,  
बिहार शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
अररिया।

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, अररिया।

पटना, दिनांक-30/8/18

विषय:- राज्य योजना अंतर्गत चाँदनी चौक से पनार नदी हरियाली मार्केट तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया का पत्रांक- 2066 दिनांक- 16.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है।

जाँचोपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन की राशि निम्नवत् है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (रु. लाख में)	प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (रु. लाख में)
1	राज्य योजना अंतर्गत चाँदनी चौक से पनार नदी हरियाली मार्केट तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य	125.352/- (सरकार के विशेष सचिव का ज्ञापनांक- 47 दिनांक- 02.09. 2015)	119.012/- (इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त)	119.317/-	118.175/-

उक्त योजना के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति एवं पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र की एक-एक प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु० - यथोक्त।


विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,

बिहार शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
प्रावैधिक टिप्पणी

1. योजना का नाम – राज्य योजना अंतर्गत चाँदनी चौक से पनार नदी हरियाली मार्केट तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।
2. प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग – 125.352/- (एक करोड़ पच्चीस लाख पैंतीस हजार दो सौ) रुपये मात्र। सरकार के विशेष सचिव का ज्ञापांक-139 दिनांक-29.03.2016
3. पुनरीक्षित तकनकी स्वीकृति की राशि – 119.317/- (एक करोड़ उन्नीस लाख ऐकतीस हजार सात सौ) रुपये मात्र।
4. i. कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपन, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।  
ii. प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।  
iii. कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।  
iv. किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।  
v. परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा, एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।  
vi. नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली-भाँति मेनटेन किया जाय ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।  
vii. प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।  
viii. गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।  
ix. कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।  
x. मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।  
xi. माननीय उच्च न्यायाल, पटना के द्वारा C.W.J.C No.- 14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (Level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।  
xii. RCC कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), TATA/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।  
xiii. प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियंता,  
बिहार शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना